

## अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-29.08.2023

सेवा में,

**PRADEEP BHARTIA,**  
ALPHA INTERNATIONAL,  
AT - S7, FIRST FLOOR OPPOSITE PANCHSEEL, CLUB,  
PANCHSEEL PARK SOUTH DELHI.

**विषय:-** मौजा-Gumo, प्लॉट नं0-63, 64, खाता नं0-93, 172, वार्ड नं0-1, थाना-TELAIYA, जिला-कोडरमा में निर्मित फ़ैक्ट्री भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित फ़ैक्ट्री भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, कोडरमा के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-413 दिनांक-26.08.2023 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त फ़ैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. फ़ैक्ट्री भवन के बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
2. फ़ैक्ट्री भवन में प्रति 400 वर्गफीट के लिये कम से कम दो की दर से 09 लीटर क्षमता का वाटर सी0ओ0टू0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
3. पूरे फ़ैक्ट्री भवन को Smoke Detector System एण्ड अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय।
4. फ़ैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय।
5. फ़ैक्ट्री के भवन Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रेवेल डिस्टेंस मानक से अधिक नहीं हो।
6. फ़ैक्ट्री के भवन के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
7. फ़ैक्ट्री भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट पूरे फ़ैक्ट्री भवन में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
8. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
9. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अग्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
11. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
12. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
13. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.3 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN**  
**RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND  
DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.20=6e18d0f6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4a  
c5f1d851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand,  
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec  
025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2023.08.30 10:15:50 +05'30'

(जगजीवन राम),

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।